न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 17 / 18

उनवान

1– शान्तीदेवी पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2– कस्तुरी पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
3– हाबुली पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4– डाली पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5– पुष्पा पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
6– कंकु पुत्री सीताराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीयागण

बनाम

राजू पिता मांगू गुर्जर निवासी सेवनी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षी

उपस्थिति :– श्री चावण्ड सिंह शक्तावत
अधिवक्ता प्रार्थीयागण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 10 / 11 / 2021

प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीयागण के ग्राम **शिवपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1065 / 586 रकबा 0.49 है0, 1066 / 590 रकबा 0.08 है0, 1067 / 591 0.04 है0, 1068 / 592 रकबा 0.10 है0** कुल किता **4** रकबा **0.71** हैक्टेयर की प्रार्थीयागण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ौसी है। प्रार्थीयागण एवं विपक्षी के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षी** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.12.2018 को विपक्षी राजू की ओर से अभिभाषक अरविन्द सिंह चौहान ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 02.07. 2018 को अभिभाषक विपक्षी द्वार प्रकरण में कार्यवाही दिनांक 25.04.2018 तक स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्रार्थना पत्र के जवाब / बहस में नियत किया गया। दिनांक 17.03.2020 को प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गयी किन्तु प्रकरण में आदेश टंकित नहीं होने से प्रकरण दिनांक 08.09.2020 को पुनः बहस के नियत किया गया। प्रकरण प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अन्तर्गम केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पर पेश हुआ। प्रार्थीयागण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित जिनकी एकतफा बहस सुनी गयी। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शिवपुरा संवत 2070 से 2073** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की **प्रार्थीयागण संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीयागण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शिवपुरा** में स्थित प्रार्थीयागण की उपरोक्त संयुक्त खातदेारी की आराजीयात **किता 4 रकबा 0.71 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500 /– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीयागण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **10 / 11 / 2021** को ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(शिल्पा सिंह **IAS**)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.